Volume - 4 (2024)
Issue - 2 (April)
LIBRARY SCHOLAR
International Peer-Reviewed Journal of Library Science
ISSN
2583-2549

IPR और डिजिटल युग में उभरती प्रौद्योगिकि

डॉ. किशोर मो. ढूमणे
ग्रंथालय प्रमुख
सुवालाल पाटणी कला व वाणिज्य महाविद्यालय
पुलगाव

सार : यह पेपर पारंपरिक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) कानूनों तथा विशेष रूप से कॉपीराइट कानून और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधों पर गौर करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉपीराइट उल्लंघन सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक समस्या है। अधिकांश कॉपीराइट कानून प्री-डिजिटल के साथ लिखा गया था प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, इन धारणाओं की कलाकृतियाँ कानून की परवाह किए बिना जारी रहती हैं। इसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी कारक उन अधिकार धारकों के लिए मायने रखते हैं जो उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनात्मक कार्य: प्रतिलिपि प्रौद्योगिकी, वितरण प्रौद्योगिकी और बिक्री प्रौद्योगिकी यह इन तीन बिंदुपरआधारित है। मुद्रित से लेकर डिजिटल कार्यों तक संबंधित अवधारणाएँ, कैसे डिजिटल प्रतिकृति की विशेषताएँ पारंपरिक IPR प्रणालियों के लिए समस्याएँ खड़ी करती हैं यह चर्चा करता है। यह चर्चा करके भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में कुछ अवधारणात्मकता प्रदान करता है। भारतीय कॉपीराइट कानून का दायरा, मालिक के अधिकार, उल्लंघन, दंड आदि इसके अलावा "सार्वजनिक" उल्लंघन करने वालों के बीच अंतर पर भी चर्चा करता है। दूसरों के लिए उपलब्ध कार्य, या तो मुफ़्त में या लाभ के लिए, और "निजी" उल्लंघनकर्ता जो एक व्यक्तिगत प्रतिलिपि बना रहे हैं इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है।

कीवर्ड: बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट अधिनियम, IPR कानून,

---

1. परिचय :

आज हम सूचना युग में रह रहे हैं, जहां सूचना एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसे विभिन्न माध्यम हैं जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है। जानकारी का एक अच्छा स्रोत किताब है। पुस्तक मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि को व्यक्त करने का एक अतुलनीय साधन है।

बौद्धिक संपदा कानून यह एक क्षेत्र है जो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ विकसित हुआ है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियों दोनों के बढ़ते उपयोग ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। यह नई अर्थव्यवस्था उत्पादों के निर्माण के तरीके, उत्पादों की प्रकृति और उनके वितरण को बदल रही है। डिजिटल मीडिया की कुछ विशेषताओं ने चुनौतीपूर्ण कानूनी मुद्दे पैदा कर दिए हैं। इस प्रकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों को आर्थिक प्रभुत्व के

लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पहचाना जाता है। भारत में कई पुस्तकालय विभिन्न मीडिया में सूचना स्रोतों तक पहुँच रखते हैं, जिनमें से एक डिजिटल मीडिया है। डिजिटल फॉर्म सूचना स्रोतों को आसानी से कॉपी करने और नेटवर्क पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल मीडिया को भारतीय कॉपीराइट अधिनियम या एक पूरी तरह से अलग कानून में विशिष्ट संशोधन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मीडिया के उचित उपयोग के माध्यम से निर्माता के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

बौद्धिक संपदा अधिकार सहस्राब्दि लेकिन आधुनिक अर्थों में एक अवधारणा है। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि नए और हमारे बीच कोई सांस्कृतिक जुड़ाव या मंजूरी नहीं है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का देश है। कानूनी प्रावधान शायद ही 150 वर्षों से अधिक पुराने है। पेटेंट पर पहला भारतीय अधिनियम 1856 में पारित किया गया था, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान थे। चौदह वर्षों के लिए आविष्कारकों के अधिकार (विशेष वर्गों के लिए आरक्षित)। इसे दोबारा लागू करना पड़ा। कुछ संशोधनों के साथ सन 1859 के अधिनियम के रूप में यह 'नए अन्वेषकों' को प्रदान किया गया था। भारत में आविष्कार के निर्माण, बिक्री और उपयोग के विशेष अधिकार किसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत करना तथा इंटीरियर डिज़ाइन को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया गया तथा पेटेंट और डिज़ाइन संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद में आया। सन 1888 के अधिनियम के अनुसार आविष्कार और डिज़ाइन अधिनियम और बाद में सन 1911 का भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम, जो कि काफी हद तक ब्रिटिश पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1907 पर आधारित था। सन 1947 में आज़ादी के बाद सरकार को अधिक प्रभावी पेटेंट की आवश्यकता महसूस हुई, पेटेंट कानून के संबंध में मौजूदा स्थिति दुबारा हासिल की गई। इस संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया।

- न्यायमूर्ति राजगोपाल अयंगर
- बख्शी टेक चंद के नेतृत्व में

इस समिती रिपोर्ट में ये सामने आया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास भारत में 90% पेटेंट हैं। और सभी कंपनिया पेटेंट का दुरुपयोग करती हैं। मुख्य रूप से भारत में अपने उत्पादों के लिए संरक्षित बाजार सुनिश्चित करने के लिए इनकार कर रहे हैं। पेटेंट इन समितियों की रिपोर्ट के बाद इस बिल पर एक दशक तक बहस चली अंततः भारतीय पेटेंट अधिनियम सन 1970 लागू हुआ। इसकी बहुत सराहना की गई, दूसरों के बीच, UNCTAD, सबसे प्रगतिशील पेटेंट कानून के रूप में और इसी तरह से प्रेरित है।

विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता और ट्रिप्स के तहत दायित्वों का पालन करना यह समझौता हुआ, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, पेटेंट (संशोधन) द्वारा संशोधित किया गया था, अधिनियम 1999 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2002, जो 2 मई को लागू हुए, अधिनियम 2003 वर्तमान प्रावधान ट्रिप्स समझौते के अनुरूप है।

2. उद्देश्य : इस शोध पत्रीका का उद्देश्य कॉपीराइट सुरक्षा के संदर्भ में उभरते डिजिटल IPR अभ्यास का विश्लेषण करना है।

3. ट्रेडमार्क सूचना:

सन 1940 से पहले भारत में ट्रेडमार्क पर कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं था। हालाँकि, इसके लिए उपाय ट्रेड मार्क का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत उपलब्ध था तथा इस अधिनियम को विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 में मिली। अधिनियम 1940 को व्यापार और ट्रेड मार्क्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। डिज़ाइन भारतीय पेटेंट के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहे डिज़ाइन अधिनियम, 1911, जबकि डिज़ाइन अधिनियम 2000 पारित किया गया था।

4. कॉपीराइट संबंधी जानकारी:

कॉपीराइट के मामलों में अंग्रेजी कॉपीराइट अधिनियम 1842 लागू किया गया भारत ने सोचा कि ऐसा कभी भी स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया गया। इंग्लैंड के कॉपीराइट अधिनियम, 1911 को ब्रिटिश प्रभुत्व के रूप में भारत तक विस्तारित किया गया था। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1914 ने उल्लंघन के लिए आपराधिक प्रतिबंध पेश किया यह कानुन 21.1.1958 को कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होने तक जारी रहा।

यह कानुन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की बदली हुई स्थिति के कारण यह उतना ही आवश्यक हो गया था पुनरुत्पादन, सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी की उन्नति इस अधिनियम में कई मूल विशेषताएं थीं; कॉपीराइट का पंजीकरण स्वैच्छिक था; कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सरकार को अन्य देशों के नागरिकों के कॉपीराइट की रक्षा करने का अधिकार मिल गया। भारत ने WTO के सदस्य के रूप में ट्रिप्स समझौते के अनुसार इसमें 1983, 1992, 1994 और 1999 में अंतिम संशोधन किया गया है।

5. IPR - बौद्धिक संपदा अधिकार :

वर्तमान समय में पुस्तकें और अन्य सूचना संसाधन मुद्रित और गैर-मुद्रित रूप में भी उपलब्ध हैं। जैसे-जैसे अधिक से अधिक सूचना संसाधन गैर-मुद्रित रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा और इस प्रकार कॉपीराइट का महत्व बढ़ रहा है।

6. भारत में IPR कानून :

भारत यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन दोनों का सदस्य देश है। आंतराष्ट्रीय संघ GATT वार्ता में व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार पर समझौता हुआ जिसमें कॉपीराइट कानून के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल थे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भारतीय

IPR भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। भारतीय कॉपीराइट कानून में कई संशोधन सन 1994 में पेश किए गए थे, जो 10 मई 1995 को दुनिया में सबसे जटील में से एक के रूप में लागू हुए। भारत में पहली बार, कॉपीराइट कानून ने कॉपीराइट धारक के अधिकारों, सॉफ़्टवेयर किराये की स्थिति और उपयोगकर्ताओं के बैकअप प्रतियां बनाने के अधिकारों को स्पष्ट रूप से समझाया। इसने सॉफ़्टवेयर कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए भारी दंड और जुर्माने का प्रावधान है।

7. भारत में कॉपीराइट कानून :

भारत में कॉपीराइट कानून भारत के किसी भी मूल साहित्यिक कृति के लेखकों को नैतिक अधिकार देता है। इस कानून के तहत नैतिक अधिकार मूल कार्य के लेखकों को प्रदान किए गए हैं। इसमें तीन अधिकारों का संयोजन शामिल है, अर्थात प्रकाशन का अधिकार; पितृत्व का अधिकार; और ईमानदारी का अधिकार। इस कानुन में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि नैतिक अधिकार, लेखकीय रचनाओं के माध्यम से आने वाले आर्थिक अधिकारों से स्वतंत्र होते हैं, और उनके कॉपीराइट के हस्तांतरण के बाद भी लेखक के पास निहित होते हैं।

8. उपरोक्त IP कानून निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

- दावों को मंजूरी देने और पंजीकृत करने के लिए एक पूरी तरह से सशक्त प्रशासनिक मशीनरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से IPR के लिए काम करे; तथा
- यदि आवश्यक हो तो प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध अपील के लिए एक तंत्र विकसित हो ; तथा
- IPR के कानूनी प्रवर्तन के लिए एक प्रक्रिया हो और पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन किसी भी कानूनी दावे के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के तहत पंजीकृत होना व IPR की सुरक्षा आवश्यक है। हालाँकि, भारत में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का कोई स्वामित्व नहीं है। ऐसी आवश्यकताएं हैं कि उनका पंजीकरण स्वैच्छिक है, लेकिन कानूनी होने की स्थिति में विवाद, पंजीकरण के विशिष्ट लाभ हैं। नकल के रूप में, जालसाजी और जालसाजी आसान, व्यापक और किफायती हो गई है। कॉपीराइट का उल्लंघन करने या ब्रांड नाम (व्यापार) का उपयोग करने के परिणाम मार्क अनुचित तरीके से बहुत बड़ा हो सकता है, कॉपीराइट प्राप्त करना उचित है और ट्रेडमार्क विधिवत पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- सर्वोच्च नियंत्रक के निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। एक सुदृढ़ कानूनी प्रणाली के तहत ही प्राधिकार निष्पक्ष और आवश्यक है।

9. निष्कर्ष :

ऐतिहासिक जानकारी सहित भारत में बौद्धिक संपदा परिदृश्य भारत में बौद्धिक संपदा (IP) कानून, भारत द्वारा अधिनियमित IP अधिनियम और भारत द्वारा हस्ताक्षरित IP में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों में कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है सूचना के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी तेजी से प्रगति के साथ उभरा। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है फलता-फूलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बौद्धिक रचनात्मकता का माहौल भारत जो अन्वेष IP

प्रावधानों और प्रभावी आधार की आवश्यकता है IPR के लिए प्रवर्तन तंत्र इस शोध लेख में मैंने इसकी जांच की के विकास में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन यह जानकारी कानून और राष्ट्रीय विकास के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये कितनी महत्वपूर्ण है इस पार चर्चा हुई है।

संदर्भ :

- Information Scientist, ARIES, Nainital, UK, India, Email – sklisc@gmail.com 2 Senior Technical Assistant 'B' CVRDE, Defence Research & Development, Organization (DRDO) Avadi, Chennai, Email – anilmlis@gmail.com
- Reference content from the paper submitted to the WB National University of Juridical Sciences.
- Reference content from the paper submitted to National Law School of India.
- Sheat, Kathy. "Libraries, copyright and the global digital environment". The Electronic Library, Vol. 22(6), 2004, pp. 487-491.
- Urs, Shalini R. "Copyright, Academic Research and Libraries: balancing the rights of stakeholders in the digital age". The Electronic Library, Vol. 38(3), 2004, pp. 201-207.
- Singh, Jnanendra N. and Joshi, Tarun. IPR's in the Digital Era: Copyright th Infringement in India. 5 International CALIBER, Punjab University, Chandigarh, 08-10 Feb. 2007, Ahmadabad: INFLIBNET Centre, 2007, pp. 145-153.
- Kumar, Harsh. Employer's Copyright vis-à-vis author's right: An unsolved legal dilemma. Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 10, 2005, pp. 116.